न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :— 06 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 94

अनवान

1. जगदीशचन्द्र पिता छीतर प्रजापत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण — प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 19.08.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 483 में अंकित आराजी संख्या 1221 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1222 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 1226 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1227 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 1382 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1652 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2274 रकबा 0.49 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.58 है0 भूमि दर्ज होकर स्थित है।
2. प्रार्थी के पिता छीतर कुम्हार के विधिक वारीस 4 पुत्र जिनमें क्रमशः गणपतलाल पिता छीतर, छगनलाल पिता छीतर, जगदीशचन्द्र पिता छीतर, मांगीलाल पिता छीतर व एक पुत्री कैलाशदेवी पुत्री छीतर कुम्हार है व पत्नि सुडीदेवी पत्नि छीतर है। राजस्व ग्राम नान्दशा के खाता संख्या 483 में प्रार्थी का नाम बाबुलाल पिता छीतर कुम्हार है जो कि राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन कर दिया गया। प्रार्थी के अन्य सभी राजकीय दस्तावेजो में नाम जगदीशचन्द्र पिता छीतर प्रजापत ही दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा के राजस्व खाता संख्या 483 में अंकित आराजियात में बाबुलाल पिता छीतर कुम्हार के बजाय जगदीशचन्द्र पिता छितर प्रजापत का नाम से दुरस्ती कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

4. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 1221, 1222, 1226, 1227, 1382, 1652, 2274 किता 7 रकबा 1.58 है0 भूमि जमाबन्दी संवत 2064–67 में छीतर पिता बालु के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 137 में भी उपरोक्त भूमि छीतर पिता बालू कुम्हार के नाम पर ही दर्ज थी परन्तु नामान्तरण संख्या 1184 से छीतर पिता बालु कुम्हार के बजाय मांगीलाल, छगनलाल, गणपतलाल, बाबुलाल पिता छीतर, कैलाशदेवी पुत्री छीतर, सुड़ीबाई पत्नि छीतर का नाम दर्ज हुआ है। आगामी जमाबन्दी रोटेशन में यही नाम चलता रहा है। प्रार्थी जगदीशचन्द्र का नाम उक्त आराजियात में इनके पिता छीतर पिता बालु कुम्हार की विरासत में बाबुलाल पिता छीतर ही दर्ज किया गया था अर्थात जगदीशचन्द्र पिता छीतर दर्ज नही किया गया। ग्राम नान्दशा में मजमे आम जांच करने कर मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि छीतर पिता बालु कुम्हार के लड़को का नाम मांगीलाल, छगनलाल, गणपतलाल, जगदीशचन्द्र पुत्र छीतर व लड़की कैलाशदेवी पुत्री छीतर तथा पत्नि का नाम सुड़ीबाई है। जमाबन्दी में खातों में दर्ज बाबुलाल पिता छीतर गलत है, सही नाम जगदीशचन्द्र पिता छीतर कुम्हार है। खाते में दर्ज इनके भाई मांगीलाल ने भी बताया कि बाबुलाल ना नही होकर जगदीशचन्द्र सही है। प्रार्थी के टी.सी., आधार कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें नाम जगदीशचन्द्र पिता छीतर है जो साथ संलग्न है।

5. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न नामान्तरण संख्या 1184 की प्रतिलिपि में प्रार्थी का नाम बाबुलाल ही अंकित है जो लिपिकीय त्रुटी में नही आता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (जिला भीलवाड़ा)